

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उमवान

वनाम
शिव कुमार मागमल

दावा बाबत :- 88 RTM-ct

मुकदमा नम्बर :- 210/2021

निर्णय दिनांक :- 6-12-2021

वादी की ओर से वकील की व प्रतिवादी सं0 की ओर से वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्रीमती शकुन्तला चौधरी के खाता सं. 176/177 के खाते सं. 388/1 की व. 6620 के खाते की प्रतिवादी सं. मागमल के नाम से राज्य रिकार्ड में दर्ज है व प्रतिवादी सं. मागमल के नाम पर श्री शिव कुमार व प्रतिवादी सं. नट्यूराम को संयुक्त रूप से 9/5 हिस्सा के व प्रतिवादी सं. मागमल को 1/5 हिस्सा के खाते पर कब्जा कर दिया जा रहा है प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पास में त्याग कर चुका है इसलिए त्याग किताब में हिस्से पर पंजीयन किताब को दाय पंजीयन मुहूर्त करा करने व यदि लुमि मुनि बैंक के रहने से तो खुद मुहूर्त होने के उपरांत ही राज्य रिकार्ड में अन्तर्ल परामर्श किताब जो पंजीयना का डिक्री का नाम पठा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
भादरा जिला हनुमानगढ़
कैम्प